रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 371] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 1, 2018/ज्येष्ठ 11, 1940
No. 371] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 1, 2018/JYAISTHA 11, 1940

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन खंड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2018

सा.का.नि. 519(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम 1963, (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) के अनुसरण में उक्त अधिनियम की धारा 123 के अतंर्गत वी ओ चिदम्बरनार के न्यासी बोर्ड द्वारा प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए उनके द्वारा बनाए गए वी ओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास (वाहनों/उपस्कारों और व्यक्तियों के लिए प्रवेश अनुज्ञापत्र जारी करना) विनियम, 2018 को केन्द्र सरकार एतद्द्वारा अनुमोदन प्रदान करती है और दिनांक 31 जनवरी 2018 एवं 7 फरवरी 2018 की अधिसूचना संख्या एस.आर.ओ. सी–2/2018 के द्वारा इसे तमिलनाडु सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया जैसा इस अधिसूचना में सलंग्न अनुसूची में वर्णित है।

2. उक्त विनियम राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची

''वी ओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास (वाहनों/उपकरणों/व्यक्तियों के लिए अनुज्ञा–पत्र जारी करना) विनियम, 2018

नंबर – एस.आर.ओ – सी 2/2018

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप धारा (2) के अनुसरण में, तूतीकोरीन पत्तन न्यास, उक्त धाराओं के तहत, आवश्यकतानुसार निम्नलिखित विनियमों को, एतद्द्वारा प्रकाशित करता है, अर्थात्

1 **संक्षिप्त नाम एवं आरंभ :**

(1) इन विनियमों को , तूतीकोरिन पत्तन न्यास (वाहनों/उपकरणों/व्यक्तियों के लिए अनुज्ञा –पत्र जारी करना) (संशोधन) विनियम, 2018 कहा जाए।

(2) ये विनियम, केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित तथा शासकीय राजपत्र में अंतिम रूप से प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगें।

2 विनियम (1) में, तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास (वाहनों/उपकरणों/व्यक्तियों के लिए अनुज्ञा –पत्र जारी करना) विनियम, 2005 (इसमें, इसके पश्चात् मूल विनियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा) –

(i) उप विनियम (1) में, शब्द एवं कोष्ठक ''तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास (वाहनों/उपकरणों/ व्यक्तियों के लिए अनुज्ञा –पत्र जारी करना)'' को ''वी ओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास (वाहनों/उपकरणों/व्यक्तियों के लिए अनुज्ञा–पत्र जारी करना)'' शब्द एवं कोष्ठक से प्रतिस्थापित किया जाए;

(ii) उप विनियम (2) में, ''ये लागू नहीं होगें'' शब्दों के लिए , ''ये विनियम आगंतुकों के लिए लागू नहीं होगें'' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाए।

3 **मूल विनियम में, विनियम 2 में, –**

(i) खंड (ख) में, '' तूतीकोरिन पत्तन न्यास के बोर्ड के न्यासी'' शब्दों को, ''वी ओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास'' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाए ;

(ii) खंड (घ) में, '' तूतीकोरिन पत्तन न्यास'' शब्द को, ''वी ओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास'' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाए।

4 **मूल विनियम में, विनियम 3 में, –**

(क) खंड (ii) में, शब्द ''अध्यक्ष'' को, ''यातायात प्रबंधक'' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाए ;

(ख) खंड (iii) में, शब्द ''पदनाम'' के बाद, ''आधार नम्बर'' शब्द सम्मिलित किया जाए;

(ग) खंड (iv) में, शब्द ''प्रवेश अनुज्ञा–पत्र'' के बाद, ''पास सेक्शन द्वारा जारी किया जाए'' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाए।

5 मूल विनियम में, विनियम 4 में, उप विनियम (ग) के लिए, निम्नलिखित उप विनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

''(ग)'' उपकरण के मामलों में, प्रलेखों के अलावा, उप विनियम (2) में उल्लिखितानुसार, डॉक सेफ्टी विनियम, 1990 के अधीन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्रों, जैसे कि फॉर्म –II, फॉर्म–IV एवं फॉर्म–VI , को भी प्रस्तुत किया जाए ।''

6 मूल विनियम में, विनियम 5 में , –

(क) उप विनियम (क) में,– (i) प्रवेश होने के मामले में'' से शुरू होने वाले शब्दों के लिए और ''विनियम के अधीन'' से समाप्त होने वाले शब्दों, को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् –

''पत्तन में व्यक्तियों के प्रवेश होने के मामले में, इन विनियमों के तहत, उल्लंघन होने के रूप में, निम्नलिखित को समझा जाए:''

(ii) खंड (i) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

''(i) अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के लिए, व्यक्तियों या एजेन्टों द्वारा गलत सूचना प्रस्तुत करना या तथ्यों को अन्यथा कथन करना''

(iii) खंड (ii) में, ''के ध्यान में नहीं लाने'' के शब्दों से पहले,

'' पत्तन के'' शब्द जोड़े जाए;

(iv) खंड (iii) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(iii) उस जगह प्रवेश करना, जहाँ वह प्राधिकृत नहीं है या पत्तन के अंदर, वास्तविक व्यापार के बगैर पत्तन में प्रवेश करना'' ;

(ख) उप विनियम (ख) में, — (i) ''वाहनों या उपकरणों के प्रवेश'' शब्दों से पहले, ''पत्तन के अंदर'' शब्दों को जोड़ा जाए ;

(ii) खंड (vi) में, ''की गति सीमा में'' शब्द से पहले, ''पत्तन क्षेत्र में 30 कि0मी0'' शब्दों को जोड़ा जाए;

(iii) खंड (xiii) में, ''पत्तन अस्पताल में'' शब्दों के बाद, ''या सरकारी अस्पताल में'' शब्दों को जोड़ा जाए;

(iv) खंड (xv) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्

''(xv) आगे और पीछे के सिरों पर लाल बत्ती या लाल झंडे के बगैर, प्रक्षेपण वस्तुओं को लेकर जाना'' ;

(v) खंड (xvi) के बाद, निम्नलिखित खंड को जोड़ा जाए , अर्थात्

''(xvii) क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट वर्दी पहने बगैर, वाहन चलाना'':—

7 मूल विनियम में, विनियम 6 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''6.जुर्माना — (क) प्रवेश अनुज्ञा—पत्र को प्राप्त करने में या प्रयोग करने में व्यक्तियों द्वारा उल्लंघन किए जाने पर, यातायात प्रबंधक द्वारा, व्यक्ति को दिए गए अनुज्ञा—पत्र को निलंबित या रद्द किया जाएगा ।

(ख) विनियम 5 के उप विनियम (ख) में सूचीबद्ध, वाहन प्रवेश के मामले में हुए उल्लंघन के लिए, यातायात प्रबंधक द्वारा हर एक अवसर पर, दो सौ रुपए का जुर्माना या एक हफ्ते की अवधि के लिए, पत्तन के अंदर प्रवेश करने पर रोक लगाई जाएगी और अगर छः महीने के अंदर, तीसरी बार किसी प्रकार का उल्लंघन पाया जाता है तो, एक महीने की अवधि के लिए, पत्तन क्षेत्र में वाहन के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और इसके अलावा, यातायात प्रबंधक द्वारा जुर्माने की वसूली भी की जाएगी।

(ग) पत्तन क्षेत्र के अंदर व्यापारिक वाहनों के लिए ड्वेल टाइम एवं जुर्माना निम्नानुसार होगा —

(i) पत्तन क्षेत्र में व्यापारिक वाहनों का निर्धारित समय से अधिक समय तक ठहरने के लिए जुर्माना लगाने के उद्धेश्य हेतु चेक पोस्ट I या II से प्रवेश करने तथा चेक पोस्ट I या II से बाहर निकलने तक के बीच के समय को माना जाएगा तथा पत्तन क्षेत्र में निर्धारित अवधि से अधिक समय के लिए ठहरने हेतु जुर्माना लगेगा और दोनों पक्षों के नियंत्रण से परे किसी भी कारणों की वजह से यदि छूट की अपेक्षा हो, तो जुर्माने की छूट यातायात प्रबंध के विवेक पर निर्भर होगी।

(ii) पत्तन उपभोक्ताओं के साथ सलाह करते हुए, पत्तन द्वारा ड्वेल टाइम नियत किया जाएगा और ''ट्रेड नोटिस'' के में, उपभोक्ताओं को सूचित किया जाएगा।

(iii) पत्तन क्षेत्र के अंदर, व्यापारिक वाहनों के लिए ड्वेल टाइम एवं जुर्माना निम्नानुसार हैं :

क्र0सं0	**वाहनों का प्रकार**	**टर्न राउन्ड के लिए लागू समय (चेक पोस्ट I, II और वापस)**	**जुर्माना**
1	कंटेनर (निर्यात)	चौदह घंटे	चौदह घंटों से अधिक ठहरने के लिए, बाद के हर दो घंटों के लिए, पचास रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

2	कंटेनर (आयात)	पाँच घंटे	पाँच घंटों से अधिक ठहरने के लिए बाद के हर दो घंटों के लिए , पचास रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
3	अन्य कार्गों (निर्यात एवं आयात)	आठ घंटे	आठ घंटों से अधिक ठहरने के लिए , बाद के हर दो घंटों के लिए , पचास रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
4	पत्तन परिसीमा के अलावा अन्य	चौबीस घंटे	चौबीस घंटों से अधिक ठहरने के लिए, बाद के हर दो घंटों के लिए, पचास रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

(घ) कोई भी लॉरी, जो पत्तन क्षेत्र के अंदर या पत्तन क्षेत्र के बाहर, लॉग्स को लादकर जाता है, तो उसे वाहन दुर्घटनाओं से बचने के लिए, दोनों छोर पर लाल बत्ती लगानी होगी, और ऐसा ना करने पर, पाँच सौ रुपए का जुर्माना होगा और जुर्माना लगाने की सूचना, ट्रैफिक स्क्वॉड के नियंत्रण कक्ष को दी जाएगी।''

उ.राजेन्द्रन,

यातायात प्रबंधक''.

[फा सं. पी डी 25021/12/2015–वीओसीपीटी/314562]

रविन्द्र अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2018.

G.S.R. 519(E).—In pursuance of sub-section (1) of Section 124 read with sub-section (1) of section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the V.O. Chidambaranar Port Trust (Issue of Entry Permit for Vehicles, Equipments and Persons) Regulations, 2018 made by the Board of Trustees of V.O. Chidambaranar Port Trust, in exercise of the powers conferred on them by section 123 of the said Act and published in the Tamil Nadu Government Gazette *vide* Notification number S.R.O. C-2/2018 dated the 31st January, 2018 and 7th February, 2018, as set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force from the date of publication this notificaiton in the Official Gazette.

SCHEDULE

" V.O.Chidambaranar Port Trust (Issue of Entry Permit for Vehicles/Equipments/Persons) (Amendment) Regulation, 2018.

No. SRO C-2/2018

In pursuance of sub-section (2) of section 124 read with sub-section (1) of section 132 of the Major Port Trust Act,1963 (38 of 1963), the V.O.Chidambaranar Port Trust hereby publishes the following regulations as required under said sections, namely: -

1. Short Title and Commencement:

(1) These regulations may be called the Tuticorin Port Trust (Issue of Entry Permit for Vehicles/Equipments/Persons) (Amendment) Regulations, 2018.

(2) These regulations shall come into force from the date of its approval and final publication in the Official Gazette by the Central Government.

2. In the Tuticorin Port Trust (Issue of Entry Permit for Vehicles/Equipments/Persons) Regulations, 2005 (herein after referred to as the principal regulations), in regulation (1), -

(i) in sub-regulation (1), for the words and brackets "Tuticorin Port Trust (issue of Entry Permit for Vehicles/Equipments/Persons)" the words and brackets "V.O.Chidambaranar Port Trust (Issue of Entry Permit for Vehicles/Equipments/Persons)" shall be substituted;

(ii) in sub-regulation (2), for the words "These will not apply" the words "These regulations shall not apply to visitors" shall be substituted .

3. In the principal regulation, in regulation 2, -

(i) in clause (b), for the words "the Board of Trustees of the Port of Tuticorin", the words " the V.O.Chidambaranar Port Trust" shall be substituted;

(ii) in clause (d), for the words "Tuticorin Port Trust", the words, "V.O.Chidambaranar Port Trust" shall be substituted.

4. In the principal regulations, in regulation 3, -

a. in clause (ii) for the word "Chairman", the words "Traffic Manager" shall be substituted;

b. in clause (iii) after the words "designation", the words "aadhaar number", shall be inserted;

c. in clause (iv), after the words "The entry permit shall be", the words "issued at the pass section and shall be ", shall be inserted.

5. In the principal regulations, in regulation 4, for sub-regulation (c), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(c) In the case of equipment, in addition to the documents, mentioned at sub regulation (2), certificates obtained from the competent authority under the Dock Safety Regulations, 1990 i.e., Form-II, Form-IV and Form-VI shall also be produced."

6. In the principal regulations, in regulation 5, -

(A) in sub-regulation (a),- (i) for the words starting with "In the case of entry" and ending with the words "under the Regulations", the following shall be substituted, namely:

"In the case of entry of persons into the port, the following shall be construed as violations under these regulations:"

(ii) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

"(i) furnishing of false information or misrepresentation of facts by the persons or agents for obtaining entry permit";

(iii) in clause (ii), after the words "Not bringing to notice of " the words "the port, the" shall be inserted;

(iv) for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:-

"(iii) entering a place to which he is not authorised or entering the port without bonafide business inside the port.";

(B) in sub-regulation (b),- (i) after the words, "entry of vehicles or equipment" the words "into the port" shall be inserted;

(ii) in clause (vi) after the words "speed limit of" the words " 30 kilometers in the Port area" shall be inserted;

(iii) in clause (xiii) after the words " in the port Hospital", the words "or Government Hospital" shall be inserted;

(iv) for clause (xv), the following clause shall be substituted, namely:-

"(xv) Carrying projected articles without red lamp or red flag at the front and rear end.";

(v) after clause (xvi) the following clause shall be inserted, namely:-

"(xvii) driving the vehicle without wearing the uniform stipulated by the Regional Transport Officer."

7. In the principal regulations, for regulation 6, the following regulation shall be substituted, namely:-

" 6.Penalties - (a) For violation by persons in obtaining or using the entry permit, the permit of the person shall be suspended or cancelled by the Traffic Manager.

(b) For violation in respect of vehicle entry, listed in sub-regulation (b) of regulation 5, penalty of two hundred rupees and or banning of entry into the Port for a period up to one week on each occasion would be imposed by the Traffic

Manager and if violation of any kind is noticed on a third occasion within six months, the vehicle shall be banned entry into the Port area for a period of one month, in addition to levy of fine by the Traffic Manager.

(c) Dwell time and penalty for commercial vehicles inside the Port area shall -

(i) for the purpose of levy of penalty for overstay of commercial vehicles inside the Port area, the time shall count from Check Post I or II on entry to Check Post I or II on exit and for excess stay time within the Port area beyond the specified duration shall involve penalty and any relaxation due to reasons beyond the control of either parties is required, then, the relaxation of penalty is left to the discretion of the Traffic Manager.

(ii) The Dwell time shall be fixed by the Port in consultation with the Port Users and notified to the users in the form of a "Trade Notice".

(iii) Dwell time and penalty for commercial vehicles inside the Port area are as follows:

Sl.No. (1)	Type of Vehicles (2)	Time allowed for Turn Round (Check Post I, II and back) (3)	Penalty (4)
1.	Container (Export)	Fourteen hours	Beyond fourteen hours, penalty of fifty rupees imposed for every subsequent two hours for over staying.
2.	Container (Import)	Five hours	Beyond five hours, penalty of fifty rupees imposed for every subsequent two hours for over staying.
3.	Other cargo (Export and Import)	Eight hours	Beyond eight hours, penalty of fifty rupees imposed for every subsequent two hours for over staying.
4.	Other than Port bound	Twenty four hours	Beyond twenty four hours, penalty of fifty rupees shall be imposed for every subsequent two hours for over staying.

(d) Any lorry carrying logs inside the Port area or outside the port area is expected to fit Red lights at both the ends so as to avoid motor accidents which will invite a penalty of five hundred rupees and imposition of penalty will be conveyed to the Control room of the Traffic Squad".

U. RAJENDRAN

Traffic Manager".

[F. No. PD-25021/12/2015-VoCPT/314562]

RABINDRA AGARWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.06.05 14:10:21 +05'30'